1118

Spl. Sec.

20 OCT 2014

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 14440/1928 दिनांक:– 14/10/14

सेवा में,

2810
20/X/14

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद, लखीसराय के वर्ष 2012–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 750 / 13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

14/10/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

7676
21/10/14

176
27/10/14

नगर परिषद् लखीसराय
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–750/13–14
वित्तीय वर्ष– 2012–13

1.प्रस्तावनाः–

नगर परिषद्, लखीसराय के वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 06.05.13 से 18.05.13 के दौरान किया गया।

2. प्रशासन

(क) सभापति

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री शशी पाण्डे	01.04.12 से 31.03.13

(ख) उप–सभापति

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अरविन्द पासवान	1.04.12 से 31.03.13

(ग) कार्यपालक अधिकारी

क0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री चन्द्रषेखर प्रसाद	1.04.12 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा द्वारा जॉच किए गए अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट– । पर तथा वैसे अभिलेख जो असंधारित थे या लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये थे उनकी सूची परिशिष्ट– ।। पर दी गई है।

4. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 (नियम–20, 64, 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय उसके द्वारा किया जाएगा, ताकि इस प्रकार की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी है।

परंतु नगर परिषद् की नमूना लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी स्तर पर इस तरह के आंतरिक जॉच की व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण कई प्रकार की अनियमिततताएं, जैसे लेखाओं के संधारण में त्रुटियॉ, वसूली गयी राशि का जमा नहीं होना अथवा कम जमा होना तथा समय– समय पर खाता खोलना इत्यादि, जिनकी चर्चा संबंधित कंडिकाओं में की गयी है, परिलक्षित हुई।

अतः परिषद् प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इन अनियमितताओं/त्रुटियों को दूर रखा जाए इस हेतु नियमित रूप से लेखाओं/अभिलेखों/पंजियों की आंतरिक जॉच की व्यवस्था की जाए।

5. संव्यवहार

नगर परिषद, लखीसराय में केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोतों से सृजित आय तथा उससे किये गये व्यय की स्थिति निम्न थी–

रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा प्रगणित वर्ष 2012–13 की अवधि में आय– व्यय निम्न प्रकार था–

	2012–13
OB	8,64,33,417
प्राप्तियॉ	
1.) स्वयं के स्त्रोत	11294169
2.) BRGF	8346960
3.) Road निर्माण	3594277
4.) चतुर्थ राज्य	22856100
5.) तेरहवॉ वित	7534000
6.) मुद्रांक शुल्क	1526240
7.) सामाजिक सुरक्षा	8684426
8.) विविध	4662419
कुल प्राप्ति	68498591
कुल	154932008

व्यय

1.)म्युनिसिपल फण्ड+ स.सु +विविध	16727060
2.) BRGF	15298121
3.) Road	742917
4.) Drain	2675449
5.) 13th FC	10787025
6.) चतुर्थ	2552664
कुल व्यय	48783236
अंतशेष	106148772

लेखापाल रोकड़ बही से संधारण मे निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गई–

1 प्रारम्भिक शेष दिनांक 01.04.2012 का मदवार विवरणी नहीं पाया गयां।

2 माह के अन्त मे रोकडबही को पासबुक के साथ मिलान नहीं किया गया ।

3 रोकडबही के अनुसार दिनांक 31.03.2013 को अन्तशेष 10,61,48,772.00 था जिसमें 8,25,33,991.28 कोषागार खाता में था तथा शेष 2,36,14,781.00 बैक खाता में था 23614781.00 कौन– कौन खाता में है। इसे नहीं बतलाया गया।

4 रोकड़ बही में खाता से , बैंक का नाम नहीं पाया गया।

6. मुद्रांक शुल्क की वसुली नहीं

बिहार सरकार के पत्रांक 1920/नि0/मु0स0/दिनांक 14.08.2002 एवं सचिव सह महानिरिक्षक पंजीयन बिहार सरकार के पत्रांक 549/15.3.2012 के निर्देशानुसार सैरातों की बंदोबस्ती किये जाने की स्थिति मे बंदोबस्ती राशि के कुल राशि के 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की वसुली का सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करना है परन्तु नगर परिषद, लखीसराय में 2012–13 के दौरान मुद्रांक शुल्क की वसुली नहीं की गयी। जिसका विवरण निम्न है:-

क्र0सं0	सैरात का नाम	बन्दोवस्तधारी का नाम	बंदोवस्ती की राशि	मुद्रांक शुल्क
1	अम्बेदकर बस स्टैंड (2012–13)	श्री कुमार रामाश्रय प्रसाद, गोहरी ,लखीसराय	9,66,000	28,980
2	लालु बस स्टैंड (2012–13)	श्री राज कुमार गुप्ता, नया बजार, लखीसराय	41,60,000	1,24,800
		Total		1,53,780

इस संबंध में जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में वसूली नहीं की गई। जवाब मान्य नहीं है। अतः मुद्रांक शुल्क की राशि रू 1,53,780.00 संबंधित /जिम्मेवार व्यक्तियों से वसुल किया जाए।

7. दुकान किराया का पुनरीक्षण नही

नगर परिषद, लखीसराय के अर्न्तगत 16 दुकान है। जो कि चितरजन रोड (निबंधन कार्यालय के पास) मे अवस्थित है। दुकान स0 1से 14 (6 को छोड़कर) वर्ष 1989–95 के दौरान, दुकान स0 6 वर्ष 2001 के दौरान, दुकान सं0 16 वर्ष 2004 के दौरान तथा दुकान सं0 16 वर्ष 2010 के दौरान आवंटित की गयी।

एकरारनामा की कडिका सं0 3 (5) के अनुसार प्रत्येक पॉच वर्ष पर एक नया किरायानामा लिखा जायेगा और किराया के दर का पुनरीक्षण हेगा। ऐसा नही करने पर यह एकरारनामा स्वतः रद्द समझा जायेगा परन्तु 24 से 9 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात (दुकान स0 16 को छोड कर) भी आज तक न तो किराया का पुनरिक्षण किया गया और न ही नया एकरारनामा किया गया। किराया का पुनरीक्षण नहीं करने के कारन नगर परिषद को हानि उठानी पडी।

अतः किराया पुनरीक्षण का कार्य यथाशीघ्र किया जाय तथा इतने वर्षों तक किराया पुनरीक्षण नहीं किये जाने के कारण नगर परिषद को हुई हानि का आकलन कर इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

8. मांग एवं वसुली पंजी का संधारण नहीं

नगर परिषद द्वारा मकान कर (निजी भवन) से संबंधित मॉग एवं वसुली का संधारण नहीं किया गया। मॉग एवं वसुली पॅजी का संधारण नहीं हेाने से वसुली गयी राशी का जॉच नहीं किया जा सका। मकान कर नगर निकाय के आय का मुख्य स्रोत है। मॉग व वसुली पंजी का संधारण नहीं होने से नगर परिष्द वसूली के लिए पूर्णतः कर संग्राहकों के उपर निर्भर है। यद्यपि पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमेशा इसके संधारण के लिए सुक्षाव दिया जाता रहा है। इसके बावजुद संधारन नहीं किया जाना घोर लापरवाही का धेात है।

नगर परिषद द्वारा मानकर से संबंधित मॉग, वसुली एवं बकाया का विवरण उपलब्ध कराया गया, जो कि निम्न हैः–

मॉग	वसुली	अवशेष	वसुली का प्रतिशत
3,75,16,273.00	15,51,242.00	3,59,650,31.00	4.13%

नगर परिषद द्वारा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारण दी गयी विवरणी की जॉच नहीं की जा सकी।

उपरेाक्त विवरण से स्पष्ट है कि वसुली का प्रतिशत 4.13 है जेा कि सरकार द्वारा निर्धारित 85% से काफी कम है।

अतः वसुली हेतु ठेास कदम उठाया जाय, साथ हीं मॉग व वसुली पॅजी का संधारण कर लेखापरीक्षा को दिखाया जाए।

9. रसीद वही अप्रस्तुत एवं दैनिक वसूली पंजी में त्रुटियॉ

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षा के नमूना जॉच में पाया गया कि भंडार पंजी के अनुसार निम्न व्यक्तियों को निम्नलिखित ट्रेड लाइसेंस निर्गत किये थे परन्तु उनके द्वारा वे रसीद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

रसीद संख्या	निर्गत तिथि	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
301 से 400	01.12.2008	कृष्ण कान्त	
401 से 500	02.12.2008	विपुल कुमार	कमीशन एजेन्ट

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षा के नमूना जॉच में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा संधारित दैनिक वसूली पंजी में अनेक स्थानों पर कटींग एवं ओभरराइटींग किया गया था। इस आपत्ति के जबाब में कहा गया कि सभी कर संग्राहकों को उचित निर्देश दे दिया गया है। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्यों रसीदों को प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं उनमें काट–छॉट किये जाने की स्थिति में वसुले गये राशि के गबन/अन्य अनियमितताओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः विभागीय स्तर पर इनकी जॉच किये जाने की आवश्यकता है।

10. सरकारी भवनों के विरूद्ध बकाया भवन कर

उपलब्ध विवरणी के अनुसार सभी सरकारी भवनों के विरूद्ध 31.03.2013 तक कुल रु 3096657.00 बकाया थी। उपर्युक्त राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किए जाएं ताकि परिषद् निधि को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके एवं की गई कार्रवाई एवं इसके परिणामों से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

इस संबंध में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि टिप्पणी के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

11. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर जमा नहीं

नगर परिषद्, लखीसराय द्वारा प्रस्तुत मॉग, वसूली एवं बकाया की विवरणी के अनुसार वर्ष 2012–13 में शिक्षा उपकर के रूप में 21450.50 एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में 21450.50 कुल रू 43901 वसूल किए गए। सरकारी नियमानुसार 10 प्रतिशत वसूली प्रभार काटकर शेष राशि को (43901 – 10 %) = रू 39511 को बिहार सरकार को प्रेषित करने कर प्रावधान था, परन्तु राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं कराया गया। जवाब में कहा गया कि नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति सुधार जाने के बाद राशि को जमा कर दिया जायगा। जवाब संतोषप्रद नहीं है। अतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि को यथाशीघ्र सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

12. अनुदान

नगर परिषद द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया । अनुदान पंजी का संधारण नहीं होने से दिनांक 01.4.2012 को अव्यवहृत अनुदान वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त और व्ययकी राशि तथा दिनांक 31.3.2013 को अनुदान की राशि का पता नहीं चल सका। यद्यपि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनुदान पंजी के संधारण के लिए हमेशा सुझाव दिया जाता रहा है । इसके बावजुद अनुदान पंजी का संधारण नहीं होना लापरवाही का द्योतक है। रोकडबही के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान कुल रू 5,51,78,829 अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ । (विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–3 पर)। अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

13. तेरहवीं वित आयेाग के अन्तर्गत सामग्री का कय

नगर परिषद, लखीसराय को तेरहवी वित आयेाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान कुल रू 66.00 लाख अनुदान के रूप मे प्राप्त हुआ (संचिका के अनुसार)। सशक्त स्थायी समिति ने कुल आवटन का 50% ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत कुड़ादान और हाथगाड़ी क्रय करने की स्वीकृति दी। इसके लिये दिनांक 09.02.2012 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 13.02.2012 था। जिसमें 3 फर्म ने भाग लिया परन्तु दो फार्म का निविदा रद्द हो जाने के कारण उसके निविदा पर विचार नहीं किया गया। तत्पश्चात सशक्त स्थायी

समिति ने सरकार के पत्राक 862/21.12.2008 के आलोक मे यह निर्णय लिया की यदि किसी नगर परिषद मे उपकरण की आपूर्त्ति की गयी हो तो उसी दर पर क्रय करने का आदेश दिया जा सकता है। जिसके आलोक मे नगर परिषद के पत्राक 297 दिनाक 01.3.2012 द्वारा **Reliable Einterprises, khagaul Road, mithapur Patna** को चार चक्का वाला लोहे का डस्टबिन (3000 लीटर)– 3 ,1350 लीटर –30 और हाथगाड़ी –5 युनिट आपूर्ति करने का आदेश दिया। पुनः पत्राक 470 दि0 02.04.2012 द्वारा चार चक्कावाला लोहे का डस्टबिन (300 लीटर) 8 युनिट तथा 1350 लीटर आपूर्ति करने का आदेश दिया ।

सशक्त स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि **Reliable Enterprises,** पटना द्वारा हाजीपुर नगर परिषद में उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति की गई है। इसलिए समझौता वार्ता कर दर तय किया जाय। कार्यादेश के अनुसार उपकरण का भौतिक सत्यापन महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, लखीसराय द्वारा किया जाना था तथा उपकरण पर एक वर्ष की वारंटी थी।

उपकरण आपूर्त्ति किये जाने के आलोक मे नगर परिषद ने कुल रू 1827350 **Reliable Enterprises** को भुगतान किया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है–

कार्यादेश पत्रांक /972/01.03.2012

कमांक	उपकरण का नाम	साईज	संख्या	दर	कुल
1	चार चक्का वाला लोहे का डस्टबिन	3000	3	1,70,000	5,10,000
2	चार चक्का वाला लोहे का डस्टबिन	1300	30	34500	10,35,000
3	हाथ गाडी दो चक्का वाला	250	06	13000	65000
					16,10,0000
		अभिश्रव सं0 102/25.4.12 +vat 13.5%			217350
				कुल	18,27,350

कार्यादेश पत्रांक 470/2.4.201

कमांक	उपकरण का नाम	साईज	संख्या	दर	कुल
1	चार चक्का वाला लोहे का डस्टबिन	3000	8	1,70,000	13,60,000
2	तथैव	1350	31	34,5000.00	10,69,500
					24,29,500

		अभिश्रव सं0 233/11.6.12 +vat 13.5%			3,27,982
				कुल	27,57,482

अंकेक्षण टिप्पणी

1.) तेरहवीं वित आयोग के अर्न्तगत कुल अनुदान जुन, 2012 तक रू 66.00 लाख था तब कुल राशि का 50% अर्थात रू 33.00 लाख से अधिक व्यय (रू 45,84,832.00) ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर कैसे किया गया।

2.) कार्यादेश के अनुसार नगर परिषद, हाजीपुर ने Reliable Enteprises से केवल चार चक्का वाला डस्टबिन 4'4'3'(1350 मी0) (14 गेज) क्रय किया था लेकिन अन्य दो समान किस आधार पर क्रय किया गया था, यह अस्पष्ट था।

3.) न विज्ञापन में, न कार्यादेश मे ,और न ही बिल मे लोहे के चक्के का Thicknes दर्ज था और न ही कार्यादेश और विपत्र मे उपकरण का configuration पाया गया।

4.) विपत्र मे एक वर्ष वारंटी का कोई जिक्र नहीं पया गया और नहीं संचिका मे वारंटी कार्ड पाया गया।

5.) नगर परिषद मे पत्रांक 536/16.04.2012 द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय को उपकरण का भौतिक सत्यापन करते हुए गुणवत्ता संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने कराने को कहा इसके आलोक मे महाप्रबंधक ने अपने पत्रांक 687/24.04.2012 द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, लखीसराय को सूचित किया की आपूर्ति सामानों का निर्धारित मानक से संबंधित कोई मापदंड पत्र मे नहीं दर्शाया गया है। जिसके आधार पर गुणवता की जॉच की जा सके। तब किस आधार पर Reliable Enterprises को भुगतान किया गया।

6.) संबंधित भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में जवाब दिया गया कि राशि के अन्तर्गत ही आपूर्त्ति की गई है। बोर्ड के निर्णय के आलोक में क्रय किया गया है साईज का उल्लेख किया गया था आदि। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में कुछ भी नहीं दिखलाया गया।

अतः उपरोक्त कुल व्यय की गयी राशि रू 45,84,832 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

14. सोलर लाईट के क्रय मे अनियमितता

नगर परिषद, लखीसराय ने वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 71 अदद सोलर लाइट (B.R.G.F- 38, 13वॉ वित्त आयोग– 18, रोशनी मद–15) रू 41,964.00 की दर से मेसर्स आर्शीवाद अक्षय उर्जा एजेंसी, सब्जी मंडी, लखीसराय से क्रय किया। भुगतान का विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0 व दिनांक	मद	दर	संख्या	कुल राशि	कुल वैट	भुगतान
1	11–14/13.4.12	13 fc	41964	4	1,67,856	8392	159464

2	49–50 / 13.4.12	B.R.G.F	41964	32	13,42,848	64142	8,35,706
3	4 / 9.4.12	B.R.G.F	41964	0			4,40,000
4	64–67 / 29.04.12	13 FC		7	2,93,748	14687	279061
5	74 / 29.4.12	B.R.G.F	41964	6	251784	12589	239195
6	165–169 / 22.5.12	13 FC	41964	7	293748	14687	279061
7	280 / 30.6.12	रोशनी मद	41964	15	6,29,460	31473	597987
				71	29,79,444		28,30,474

नगर परिषद ने सोलर लाईट का क्रय विकास आयुक्त, लखीसराय का पत्रांक 02 दिनांक 29.09.2008 द्वारा सौर लाइट अधिष्ठापन हेतु मेसर्स आर्शीवाद अक्षय एजेंसी पुरानी बाजार, लखीसराय की दर मो0 रू 41964.00 रूप्ये प्रतिलाईट स्वीकृत के आलोक मे क्रय कियाा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1.) उप विकास आयुक्त के पत्रांक मे specification नही पाया गया।

2.) सोलर लाईट का क्रय जिला क्रय समिती द्वारा निर्धारित दर, specification के अनुसार किया जाना चाहिये अथवा इसके क्रय अखबार मे विज्ञापन निकाल कर निविदा आमंत्रित करना चाहिए तत्पश्चात तुलनातमक विवरणी तैयार कर, क्रय समिती के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर Lowest bidder से क्रय कि जायेगी परन्तु नगर परिषद मे ऐसा नहीं किया गया।

3.) क्रय किये गये सेलर लाइट का इन्द्राज भंडार पंजी मे नहीं किया गया।

4.) उपरोक्त क्रय बोर्ड से पारित है अथवा नहीं इसके समर्थन में proceeding book प्रस्तुत नहीं किया गया।

5.) सोलर लाईट ठीक से काम कर रहा है।इस संबंध मे स्थानीय नागरिक/जन प्रतिनिधि का प्रतिवेदन संचिका मे नहीं पाया गया।

6.) सोलरलाईट के भौतिक निरीक्षण हेतु समय तय का लेखापरीक्षा को सुचित नहीं किया गया। इस संबंध में जवाब दिया गया कि क्रय जिला स्तर पर चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता से की गई है। भंडार पंजी संधारित नहीं है वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर से अधिष्ठापित की गई है। लाईट नहीं जलने की सूचना पर कार्रवाई की गई है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त को अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किये जाने तक व्यय की गयी राशि रू 2979444 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

15. स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वैसे व्यक्ति जो engineering, accountancy, technical consultancy आदि professional service provide करते है। उन्हें भुगतान करते समय कुल विपत्र की

राशि का 10% T.D.S के रूप में काटकर संबंधित शीर्ष में जमा कर देना है परन्तु नगर परिषद मे ऐसा नहीं किया गया। जिसके कारण सरकार को रू 15,750.00 हानि हुई, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है–

1.	2.	3.	4.	5.
1.	103/26.4.2012	19,80.00	1980.00	संजीव राय उर्मिला एण्ड को,अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन हेतु
2.	104/26.4.2012	56000.00	5600.00	तथैव वर्ष 2006–07 के utilisation के verification हेतु
3.	106/26.4.2012	49000.00	4900.00	तथैव (2007–08)
4.	140–141/5.5.12	16200.00	1620.00	श्री अविनाश कुमार गुप्ता ,अधिवक्ता
5.	306/4.7.12	8800.00	880.00	तथैव
6.	726/20.12.12	7700.00	770.00	श्री संजय प्रकाश वर्मा,अधिवक्ता
		1,57,500.00	15,750.00	

अतः रू 15,750 संबंधित/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसुल कर संबंधित शीर्ष में जमा कर इसका जमा लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

16. बिना निबंधन एवं बीमा के गाड़ियों का परिचालन

नगर परिषद, लखीसराय के जे.सी.बी मशीन–1,बॉब कैट–1,ट्रैक्टर (बडा)–3, सक्शन मशीन–1 अदद काफी वर्षों से है। परन्तु इन गाड़ियों का परिचालन बिना निबंधन एवं बीमा के किया जा रहा है। जो कि यातायात नियम के विरूद्व है। जवाब में कहा गया कि आवश्यक कार्रवाई की जायगी। अतः उपरोक्त गाडियों का निबंधन व बीमा यथाशीघ्र किया जाए। परिशिष्ट– 4

17. निविदा शर्त्तों का उल्लंघन कर संवेदक को अनुचित लाभ

लेखापरीक्षा में अल्पकालिन निविदा सूचना सं0–07/12–13 के नमुना जॉच मे पाया गया कि विज्ञापित सुचना के शर्त्त संख्या 2 मे अंकित था। "वैसे संवेदक जो इस विभाग से कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात भी निर्धारित समय पर येाजना का कार्य पूरा नहीं किये हैं, उन्हें उस निविदा मे भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

परन्तु जॉच के क्रम मे पाया गया निविदा में भाग लेने वाले ऐसे अनेक संवेदक थे जो पूर्व में प्राप्त कार्यादेश के अनुसार ससमय कार्य पुरा करने मे असफल रहे हैं, उदाहरणार्थ–

क्रं0	संवेदक का नाम	पूर्व का अर्पूण /विलम्ब कार्य		निविदा सू0 07/12–13 मे आवंटित कार्य
1.	2.	3.	ग्रुप नं0	4.
1.	श्री प्रमेन्द्र कुमाार	1.) नाला निर्माण 11/12–13प्रा0 राशि 5.09 लाख 2.08–11को कार्यादेश कार्य अभी अपूर्ण	2 6	1560700 1268000
		2.) BRGF-33/11-12	7	732000

		प्रा0रा0 -378400 303 दिन विलम्ब से कार्य पूर्ण।	39	1000000
				4560700
2.	श्री राहुल कुमार	1.) नाला निर्माण–18/11–12 प्रा0 रा0–309800 कार्यादेश18–2+2 आज तक अपूर्ण	5 30	1000000 996900
		2.) BRGF-18/11-12-Pce प्रा0 रा0–18–2–12/माह 29–1–13 को 286 दिन विलम्ब से पूर्ण	5 30	
				1996900
3.	श्री राम चरित्र राय	1) B.R.GF- 20/11–12 प्रा0 राशि–298900 18.2.12 कार्यादेश 101 दिन बिलम्ब से कार्य पूर्ण 2) B.R.GF-05/12–13 प्रा0 राशि–559000 07.09.12 को कार्यादेश आज तक अपूर्ण	12 16 24 25	992700 882500 757200 317800 2950200
4.	कुमार रामाश्रय प्रसाद	1.) नाला निर्माण –8/11–12 प्रा0 राशि –296700 11.5.11 को कार्यादेश आज तक अपूर्ण	13 19	995200 622950 1618150
5.	विजय सिंह	B.R.G.F –15/11–12 प्रा0–298200 18.2.12 को कार्यादेश 133 दिन विलम्ब से कार्य पूर्ण	9	1000000
			Total	1,21,25,950

अतः उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैसे संवेदक जो निविदा मे भाग लेने के योग्य नहीं थे, उन्हें भी निविदा भाग लेने की अनुमति भी दी गयी एवं कार्य आवंटित भी किया गया, चूंकि उपरोक्त मामला निविदा प्रबंधन में अनियमितता का है। किन परिस्थितियों में ऐसे निविदादाताओं को कार्य आवंटित किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इसे स्पष्ट किये जाने तक कुल व्यय की गयी राशि रू 1,21,25,950 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

18. योजनाओं का विलम्ब से कियान्वयन

नगर परिषद में कियानवित योजनाओं के नमूना जॉच मे पाया गया कि अधिकतर योजनाऍ निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं कराया गया। साथ ही F-2 Agreement के clause 2 के प्रावधानों के अर्न्तगत विलम्ब शुल्क कि कटौती नहीं की गई है। जिसका उल्लेख निम्नलिखित है–

B.R.G.F विवरणी–I

क0 सं0	योजना सं.	संवेदक का नाम	प्रा0 राशि	कार्यादेश तिथि	कार्य पूर्ण नियत समय	कार्य पूर्ण वास्तविक तिथि	विलम्ब दिन	कुल भुगतान	अभियुक्त

.	3/11–12	परशुराम साव	297700	10.5.11	10.6.11	18.11.11	161	297700	पूर्ण
2.	5/11–12	प्रमेंद्र कुमार	309500	10.5.11	10.6.11	8.2.12	243	300461	पूर्ण
3.	20/11–12	रामचरित्र राय	298900	18.2.12	18.4.12	28.7.12	101	248682	पूर्ण
4.	10/11–12	रितेश कुमार	297100	6.2.12	6.4.12	23.7.12	108	296726	पूर्ण
5.	11/11–12	महेश प्रा0 सिंह	348500	11.2.12	11.4.12	13.6.12	63	348500	पूर्ण
6.	15/11–12	विजय सिंह	298200	18.2.12	18.4.12	29.8.12	133	296614	पूर्ण
7.	16/11–12	अशोक कुमार	302600	18.2.12	18.4.12	4.3.13	319	301297	पूर्ण
8.	23./11–12	रंजीत कुमार	3,00,000	18.2.12	18.4.12	4.6.12	47	296361	पूर्ण
9.	33/11–12	प्रमेन्द्रकुमार	378400	21.3.12	21.5.	20.3.13	303	378221	पूर्ण
	total		2830900				total	2764562	

नाला निर्माण विवरणी–II

कं. सं.	योजना संख्या	संवेदक का नाम	प्रा0 राशि	कार्यादेश तिथि	कार्य पूर्ण नियत तिथि	कार्य पूर्ण वास्तविक तिथि	बिलम्ब दिन	कुल भुगतान	अभियुक्ति
1.	1/2011–12	रंजित कुमार	5,01,200	10.05.11	10.7.11	13.04.12	217	237512	अर्पूण
2.	4/2011–12	बिजय सिंह	300900	11.5.11	11.6.11	29.9.11	109	227898	अर्पूण
3.	8/2011–12	कुमार रामाश्रय प्रासाद	296700	11.5.11	11.6.11	1.9.11	81	53721	अर्पूण
4.	9/2011–12	रंजित कुमार	297600	13.5.11	13.6.11	6.3.12	266	89491	अर्पूण
5.	10/11–12	कुमार रामाश्रय प्रसाद	500400	11.5.11	11.7.11	6.3.12	239	308923	अर्पूण
6.	11/11–12	प्रमेन्द्र कुमार	509500	2.6.11	2.8.11	7.3.12	218	203585	अर्पूण
7.	12/11–12	विजय सिंह	697500	21.7.11	21.9.11	22.12.11	92	257009	अर्पूण
8.	13/11–12	रितेश कुमार	279400	6.1.12	6.3.12	28.6.12	114	184195	अर्पूण
9.	17/11–12	कुमार रामाश्रय प्रसाद	189500	13.2.12	13.4.12	22.8.12	129	51979	अर्पूण
10.	18/11–12	राहुल कुमार	309800	18.2.12	18.4.12	19.6.12	61	101678	अर्पूण
			3882500					1715991	

1106

अतः 283090 संबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल किया जाय।

19. C.F.L बल्ब के कय मे अनियमितता

नगर परिषद मे तेरहवीं वित आयोग के अनुदान के राशि में 254 अदद C.F.L बल्ब रू 5,33,400 व्यय किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

कं0सं0	अभिश्रव सं0 व दिनांक	दर	संख्या	विपत्र की राशि	धटाव वैट	भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	15–16/10.04.12	2100.00	132	2,77,200	50985	2,26,275
2	281/02.07.12	2100.00	122	2,56,200	37149	219057
			254	5,33,400		4,45,326

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1) बल्ब हेतु कोई निविदा नहीं निकाला गया। बल्कि इसका कय पूर्व में किये गये कय के आधार पर किया गया। पूर्व में कय दीपावली एवं छठ पर्व को देखते हुए स्थानीय स्तर पर निविदा निकालकर की गयी। इस प्रकार कय किये जाने हेतु वित्तीय नियम का पालन नहीं किया गया।

2) संचिका में कार्यादेश नहीं पाया गया।

3) विपत्र पर सीएफएल सेट का specification नहीं पाया गया।

4) संबंधित भंडार पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5) संचिका में गारंटी कार्ड एवं installation certificate नहीं पाया गया।

6) नगर परिषद ने पत्रांक 1056/28.8.2012 द्वारा मेसर्स नेशनल अक्षय उर्जा एजेंसी, बाढ कोर्ट एरिया, बाढ को सूचित किया की विभिन्न वार्डो मे आपके द्वारा जो भी C.F.L बल्ब लगाया गया है, उसमें से अधिकांश बल्ब जल नहीं रहा है। जबकि एकरारनामा के अनुसार एक वर्ष तक रख– रखाव निःशुल्क कराना था। उसके बाद का कोई भी प्रतिवेदन संचिका में नहीं पाया गया ।

7) नगर परिषद के टैक्स दारोगा ने दिनांक 28.8.2012 मे सूचित किया की पत्रांक 1051/27.08.12 के तामिला के संबंध मे नगर परिषद को सूचित किया की नेशनल अक्षय उर्जा एजेंसी नाम का कोई भी दुकान बाद मे नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि फर्म से एकरारनामा करने से पूर्व सभी संबंधित दस्तावेजों की जॉच नहीं की गई थी।

अतः उपरोक्त कुल व्यय की गयी राशि रू 4,45,326 लेखापरीक्षा आपत्ती के अधीन रखा जाता है।

20. C.F.L बल्ब का कय मे अनियमितता

तेरहवीं वित आयोग के अर्न्तगत नगर परिषद ने बल्ब के कय पर कुल रू 4,18,871 व्यय किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है–

क0सं0	अभिश्रव सं0 एवं दिनांक	राशि	विवरण	दुकान
1.	603–642/24.11.12	262776.00	1.)C.F.L Bulb(100w) 208 no.@1000 2.)C.F.L	Bala electrical,

			Bulb(100w)29@600 3.)Switch 31,37.6	
2.	769-800/7.1.13	156095.00	1.)C.F.L Bulb(100w) 133@1000 2.)C.F.L Bulb(100w) 7@600 3.) Switch 18,895	
		TOTAL	4,18,871.00	

नगर परिषद ने तीन दुकानों से कोटेशन प्राप्त कर निम्न कोटेशनदाता बालाजी ईलेक्ट्रानिक्स से क्रय करने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1) नगर परिषद ने क्रय के लिये अखबार मे विज्ञापन प्रकाशित कर निविदा आमंत्रित नहीं किया।

2) क्रय करने हेतु क्रय समिति का गठन नहीं किया गया।

3) इस संबंध मे बोर्ड का निर्णय नहीं दिखाया गया।

4) कोटेशन या विपत्र पर C.F.L बल्ब किसकम्पनी का होगा या था इसका उल्लेख नहीं पाया गया।

5) क्रय किये गये सामानों का प्रविष्ट भंडार पंजी में नहीं दिखाया गया।

अतः उपरोक्त कुल व्यय की गयी राशि रू 4,18,871 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है। इस संबंध में जवाब दिया गया कि व्यय राशि 1.00 लाख से कम होने के कारण केवल कोटेशन के आधार पर जवाब मान्य नहीं है।

21. N.S.D.P. एवं S.J.S.R.Y. की रोकड़ बही के संधारण में अनियमितता

N.S.D.P. एवं S.J.R.Y. की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 01.04.2012 के प्रारम्भिक शेष क्रमशः रू 6,44,951.00 तथा रू 12,59,759.00 है इसके बाद रोकडबही नहीं लिखा गया है साथ हीं किसी का हस्ताक्षर भी नहीं पाया गया।

इस प्रकार 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्र भी रोकड़ बही नहीं लिखा जाना घोर लापरवाही का धोतक है। रोकडबही नहीं लिखा जाने के कारण वर्ष के दौरान प्राप्ति और व्यय भी पता नहीं चल सका।

अतः रोकड़बही को लिख कर अगले लेखापरीक्षा में यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

यधपि Bill Book के अनुसार S.J.S.R.Y और N.S.D.P के अर्न्तगत वर्ष 2012–13 के दौरान क्रमशः रू 22,32,800 और रू 1,90,593.00 व्यय हुआ साथ हीं S.J.S.R.Y के बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 04.03.2013 को रू 75,00,000.00 प्राप्त हुआ।

अतः रोकडबही का संधारण का अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय साथ हीं S.J.S.R.Y और N.S.D.P. से संबंधित अभिश्रव को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

22. कार्य निविदाओं का अनियमित, त्रुटिपूर्ण आवंटन

लेखापरीक्षा मे असपातकालीन निविदा सूचना संख्या –07/12–13 मे प्राप्त निविदाओं एवं कार्य आवंटन प्रकिया का नमुना जॉच किया गया। लेखापरीक्षा में उपलब्ध सभी मूल कार्य संचिका एवं उसमें संलग्न ऑडरशीट, प्राक्कलन एवं तुलनात्मक विवरणी को आधार मान कर यह प्रतिनिवेदन तैयार किया गया है। संलग्न विवरणी मे अंकित कुल 17 योजना संचिका का नमुना जॉच किया गया। जॉच मे पाया गया सभी 17 निविदा मे दोहरी निविद प्रणाली (Two Bid System) के अर्न्तगत टेक्नीकल एवं वित्तीय विज प्रणाली को अपनाया गया।

जॉच मे यह पाया गया कि सभी 17 ग्रुप को मात्र दो संवेदको ने कार्य के लिए निविदा डाली एवं सभी में एक संवेदक टेक्निकल वीड मे असफल रहे एवं कार्य एक मात्र वैध निविदा (Single Valid Tender)के आधार पर दिया गया। उल्लेखनीय हैकि एकल निविदा स्वीकार करने की शक्ति कार्यपालक पदा0 नगर परिषद में नहीं है। एकल निविदा को स्वीकृत करने के सशक्त स्थाई समिति, या नगर परिषद बोर्ड उप विकास आयुक्त किसी से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

उल्लेखनीय तथ्य

1.) ग्रुप नं0–10 योजना संख्या 36/12–13 चतुर्थ राज्य वित्त योजना मे श्री राम चरित्र राय ,संवेदक की तकनीकी निविदा वैध श्रम निबंधन प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण रदद कर दी गईएवं कार्य एकल निविदा के आधार पर श्री राजेश कुमार को दे दिया गया।

परन्तु उसी निविदा सूचना 07/12–13 के अर्न्तगत ग्रुप नं0–12 यो0 सं0 33/12–13 चतुर्थ राज्य, ग्रुप नं0 16 यो0 सं0 34/12–13 चतुर्थ राज्य,एवं ग्रुप नं0 24 यो0 सं0 31/12–13 चतुर्थ राज्य मे कार्य श्री राम चरित्र राय को दी गयी जब ग्रुप नं0 10 के अनुसार उनके पास वैध श्रम निबंधन प्रमाण पत्र नहीं था।

अतः स्पष्ट है कि नियमों को तोड़ मरोड़ कर मनमाने ढंग से निविदा बॉटी गयी।

2.) ग्रुप नं0 –09 यो0 सं0 36/12–13 के तुलनात्मक विवरणी पर प्रधान सहायक द्वारा दोनों को वैध पाया गया, परन्तु सहायक अभियन्ता द्वारा टिप्पणी की गयी की कुमार विजय के पास वैध श्रम निबंधन प्रमाण पत्र नहीं अतः सिर्फ श्री राजेश कुमार का वित्तीय निविदा खोले जाय। परन्तु कुमार विजय को कार्यादेश निर्गत किया जाय और इस संबंध में c/s पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

लेखापरीक्षा को स्पष्ट किया जाय कि ग्रुप नं0 9 मे श्री कुमार विजय को किस नियम के तहत निविदा में कार्य आवंटित किया गया।

3.) उसी प्रकार से ग्रुप नं0 16 यो0 सं0 34/12–13 चतुर्थ राज्य एवं ग्रुप 25 एवं यो0सं031/12–13 राज्य योजना मे तुल्नातमक विवरणी पर यह अंकित था कि श्री राचरित्र राय के पास वैध श्रम निबंधन प्रमाण नहीं है।अतः ग्रुप –16 मे श्री राजेष कुमार एवं ग्रुप 24 मे श्री रंजीत कुमार कावित्तीय वीड खोला

जाय। परन्तु तुलनात्मक विवरणी पर विना किसी अग्रेत्तर टिप्पणी /केदो कार्य श्री रामचरित्र राय को दे दीया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं का कारण अगले लेखापरीक्षा को बताया जाय।

23. योजना के कियान्वयन मे अनियमितता(13 वित्त आयोग)

13वीं वित आयोग से संबंधित योजना संचिका की नमूना जॉच मे पाया गया कि योजना के कार्यवन्यन के लिए निविदा आमंत्रित कि गयी। परन्तु सारे योजना संचिका (सं0 9) के अनुसार सभी योजना हेतु मात्र दो निविदा हीं प्राप्त हुये। उसमें से एक श्रम निबंधन प्रमाण पत्र /चरित्र प्रमाण पत्र आदि कारणों से रदद कर दिया। इस स्थिति मे मात्र एक निविदा हीं वैध हुआ। नगर परिषद द्वारा वैध निविदादाता को कार्य आवंटित किया गया।

जब कि एकल निविदा की स्थिति में पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था या उच्च पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य आवंटित किया जाना चाहिए था।

2) किसी भी योजना में श्रम उपकर नहीं काटा गया ।

3) विलम्ब होने की स्थिति में विलम्ब शुल्क नहीं काटा गया।

(संलग्न परिशिष्ट –)

24. अग्रिम

नगर परिषद् द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलतः दिनांक 01.04.2012 को बकाया अग्रिम, वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम आदि का ठीक से पता नहीं चल सका। यद्यपि अंकंक्षण में प्रस्तुत रोकड बहियों के अनुसार वर्ष 2012–13 के अनुसार कुल रू 6030300 अग्रिम के रूप में दिया गया। उपरोक्त अग्रिम का समायोजन से संवंध में कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर)

25. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गये आपत्तियों पर समय– समय पर एवं लेखापरीक्षा के अंत में चर्चा की गयी।

26. लेखापरीक्षा परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि – शून्य
2. वसूली के लिए सुझायी गयी राशि – रू 452620.00
3. आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि– रू 20554423.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

(102)

27. सामान्य अभियुक्तियाँ

नगर परिषद् द्वारा लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। अनेक आवश्यक अभिलेख जैसे अनुदान पंजी अनुदान विनियोग पंजी समग्र अग्रिम पंजी परिसम्पति पंजी विभिन्न करों की मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अधिकारियों द्वारा अग्रिम के सामन्जन पर समय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन त्रुटियों को दूर करने हेतु कारगर कदम उठाए जाए।

–हस्ता0–

रवि कुमार

(स0ले0प0अधि0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार (एस0एस0–I)

––सह––

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार